भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 508**
(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 20 जुलाई,2022 को उत्तर दिये जाने के लिए

जी.ई.एम.

508. श्री राजा अमरेश्वर नाईक :
श्री भोला सिंह :
डॉ.सुकान्त मजूमदार:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री विनोद कुमार सोनकर:
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) :
डॉ.जयंत कुमार राय :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जी.ई.एम. पर खरीददारों के रूप में सहकारी समितियों द्वारा खरीद की अनुमति देने के लिए इसके अधिदेश का विस्तार करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने कार्यान्वयन रणनीति, लक्ष्य, व्यय, लाभार्थी, आदि निर्धारित किए हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा जी.ई.एम. के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): जी हाँ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 01.06.2022 को आयोजित अपनी बैठक में जी.ई.एम. पर खरीददार के रूप में सहकारी समितियों द्वारा खरीद की अनुमति देने के लिए जी.ई.एम. के अधिदेश का विस्तार करने को अपनी मंजूरी दे दी है।
(ख) और (ग): जी हां। सहकारिता मंत्रालय के परामर्श से कार्यान्वयन कार्यनीति को अंतिम रूप दिया गया है। इस प्रस्ताव से 8.54 लाख सहकारी समितियों से जुड़े लगभग 27 करोड़ लोगों को लाभ होगा। इसके अलावा, सरकार के लिए कोई अतिरिक्त व्यय का भार नहीं है चूंकि जी.ई.एम. पर खरीदार के रूप में ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया नि:शुल्क है।
(घ): सरकार ने जी.ई.एम. के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को सक्षम बनाने के लिए सामान्य वित्तीय नियम 2017 (जीएफआर) में संशोधन किया है और नियम 149 के तहत प्रावधान किया है। जीईएम एक विकसित होता हुआ मंच है और हितधारकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसमें नियमित वृद्धि की जा रही है। जी.ई.एम. का बोर्ड, पोर्टल के कामकाज की देखरेख नियमित रूप से करता है।

*****